राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9531/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
2.	9290/2022	5(f)	Resins, Driers Paint Industires	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9414/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	8852/2021	1(a)	बॉक्साईट एवं फायरक्ले खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	8689/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9260/2022	1(a)	बॉक्साईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	7570/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
8.	8794/2021	1(a)	रॉक फास्फेट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	7305/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	7828/2020	1(a)	डोलोमाईट खदान	For Delist	Delisted
11.	5651/2018	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन	संशोधन स्वीकृत
12.	9024/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति संशोधन	संशोधन स्वीकृत
13.	9610/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
14.	9614/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
15.	9615/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16.	9669/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17.	9671/2023	1(a)	पत्थर, मुरूम एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9672/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
19.	9675/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
20.	9676/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
21.	9544/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
22.	9441/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
23.	9311/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9317/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9307/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
26.	9316/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
27.	9306/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
28.	9310/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
29.	9313/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
30.	9315/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
31.	9309/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
32.	9746/2023	1(a)	रेत खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
33.	9747/2023	1(a)	रेत खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
34.	9748/2023	1(a)	रेत खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
35.	9749/2023	1(a)	रेत खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
36.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, कटनी (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)			**SEAC द्वारा अनुशंसित**	**स्वीकृत**
37.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना (रेत खनिज)			**SEAC द्वारा अनुशंसित**	**स्वीकृत**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

38.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (रेत खनिज)	SEAC द्वारा अनुशंसित	स्वीकृत
39.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पन्ना – अन्य गौण खनिज –संशोधित	SEAC द्वारा अनुशंसित	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र 9531/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बसंल कन्स्ट्रक्शन वर्क्स प्रा. लि. निवासी तृतीय तल, तवा काम्पलेक्स, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 232122 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम छापरी, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से 100 मीटर तथा कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार किये जाने वाले वृक्षारोपण की देखरेख हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार आवश्यक ग्रामपंचायत को उपलब्ध कराई जाये।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय	800

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		प्रजातियां (1.मीटर उचाई के पौधे)	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानी प्रजातियां	1000
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत छपरी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2800
4	ग्राम पंचायत छपरी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	4800

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बंडा के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक अधिकारी के परामर्श से 01 व्हील चेयर एवं 01 मेडिकल बेड प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स बसंल कन्स्ट्रक्शन वर्क्स प्रा. लि. निवासी तृतीय तल, तवा काम्पलेक्स, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 232122 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम छापरी, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र क्र. 951

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

दिनांक 01.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 05.04.2024 तक की अस्थाई अनुज्ञा प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.04.2024 तक वैध मान्य रहेगी।

2. **Case No. 9290/2022**: Prior Environment Clearance for Expansion in production capacity from 8320 MT/Year to 48,000 MT/Year for Manufacturing of Resins, Driers, Paint Additives Products at Plot No. 684, 652, Industrial Area-3, Pithampur, Dist. Dhar, MP by M/s Piyanshu Chemicals Pvt. Ltd, 53A, Tiljala Road, Mescab Centre, 4th Floor, Kolkata, W.B. – 700046. Email: padam_bhagat@piyanshu.com Mob No. 9391201061 Cat. - 5(f) Env. Cons. – M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.)

1. **मैसर्स पियांशु केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (पीसीपीएल) की** Manufacturing **यूनिट प्लॉट नंबर 684 और 652, औद्योगिक क्षेत्र –3, पीथमपुर, जिला धार, म.प्र. में स्थित है । कंपनी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या 2150**/RO & Dhar/ MPPCB/05 dtd **12.09.2005 से प्राप्त जल और वायु सहमति के तहत 8320 एमटीपीए की कुल उत्पादन क्षमता के साथ रेजिन, ड्रायर्स, पेंट एडिटिव्स उत्पादों का निर्माण कर रही है।**
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इकाई के विस्तार (Expansion) हेतु **उपरोक्त उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने** के लिए **परियोजना को प्रस्तावित किया गया है,** जिसमे उत्पादन क्षमता 8320 MT/Year से 48,000 MT/Year किया जाना प्रस्तावित है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 626वीं दिनांक 02.03.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 39 से 48 तक अंकित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल के माध्यम से (22.03.23) को सूचित किया गया है की SEAC द्वारा 626वीं बैठक की दिनांक 02.03.2023 जारी mintues में EC में जारी शर्तो के विन्दु क्र B–2 के अंकित तालिका में लिपकीय त्रुटिवश किसी और परियोजना का विवरण सम्मिलित हो गया है जिसे SEIAA mintues में संशोधित करने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत तालिका को पूर्व में जमा किये गए दास्तावेजों से मिलान किया गया एवं संतोषप्रद पाए जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए तालिका में संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाये :–

Sr.No.	Stack attached to	Fuel Type	Stack Height (m)	APC measures
1.	Thermic Fluid Heater (20 Lakhs kcal)-1 existing & 1 Proposed	Agro Briquette - 200 kg/hr.each	2 Nos- 32 m.	Bag Filter, Cyclone
2.	D G Set (225 KVA) (Existing)	Diesel 30lit/hr.	Adequate Stack height as per CPCB norms.	Acoustic Enclosure
4.	D G Set (380 KVA) (proposed)	Diesel 30lit/hr	Adequate Stack height as per CPCB norms.	Acoustic Enclosure

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

(i) पानी की आवश्यकता MPAKVN जलापूर्ति के माध्यम से ही पूरी की जाये। पानी की आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(ii) उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(iii) उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न खतरनाक कैमिकल जैसे फिनॉल, फार्मलडीहाईड इत्यादि रसायन का अधिकतम रिकवरी प्रचलित विधियों के द्वारा किया जाये।

(iv) उद्योग से उत्पन्न दूषित जल का खासतौर से Resin बनाने वाली इकाई का जहॉ तक हो सके पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(v) रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग—अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।

(vii) अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:

- Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये।प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।
- विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
- उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वाराप्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

(ix) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

(x) संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

(xi) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाही किया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उठाये जाये।

(xii) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xii एवं परिशिष्ट–4 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. **प्रकरण क्र 9414/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री रामप्रताप सिंह, निवासी बरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6042 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 1/1, 1/3, 1/2/क, 1/2/ख, ग्राम तमरी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 626वी बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **हाईटेंशन लाईन एवं कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में रोपित 130 पौधों का सरंक्षण किया जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय। ट्री गार्ड के साथ-	250
3	तमरी स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	50
4.	तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया !	500
		कुल	1200

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम तमरी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में छात्रो के डिजिटल अध्यन हेतु 02 प्रोजेक्टर प्रदान किये जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री रामप्रताप सिंह, निवासी बरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6042 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 1/1, 1/3, 1/2/क, 1/2/ख, ग्राम तमरी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रीवा के पत्र क्र. 5439 दिनांक 07.09. 2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.09.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

4. **प्रकरण क्र. 8852/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीकृष्णदास टीकाराम, पार्टनर श्री अश्वनी गौतम, निवासी बी–,6 ए.सी.सी. कालोनी, सिविल लाईन कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं फायर क्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता Bauxite-6219 TPA and Mine waste – 676 Cum per year (ऑनलाईन फार्म एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार) रकबा 1.04 हेक्टेयर, खसरा 1193, 1194, 1195, ग्राम नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तथा कच्ची सड़क से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Phase	Location	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants
1st year	Along with barrier zone (421m)	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Khamar, Slips of Agaive Americana Gattayon and seeds of Subabul and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	500
3rd year to 7th year	Backfilled area	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Katang Bans, Khamar and other local species etc.Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	700
		Total	**1200**
1st Year	Along the road	Neem, Kadam, Aam, Munga	**20**
1st year	For distribution of villagers	Neem, Jamun, Jam, Anwla, Aam, Munga	**1000**
		Total	**2120**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- ग्राम नैकिन के आंगनबाडी केन्द्र एवं शासकीय स्कूल में 01–01 हैंड पंप स्थापित किये जाये।

- ग्राम नैकिनक की रोड़ मरम्मत (70m length) का कार्य किया जाये।

- ग्राम नैकिन के शासकीय स्कूल/आंगनबाडी केन्द्र में (एक बार) आवश्यकता अनुसार सामग्री का वितरण किया जाये।

- ग्रामवासियों के लिये (वर्ष में एक बार) स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एवं औषधी वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स श्रीकृष्णदास टीकाराम, पार्टनर श्री अश्वनी गौतम, निवासी बी–,6 ए.सी.सी. कालोनी, सिविल लाईन कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं फायर क्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता Bauxite-6219TPA and Mine waste – 676cum per year (ऑनलाईन फार्म एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार) रकबा 1.04 हेक्टेयर, खसरा 1193, 1194, 1195, ग्राम नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सीधी द्वारा पूरक अनुबंध पत्र दिनांक 31.10.2017 अनुसार खनिपटटा की अवधि 26.02.2017 से 25.02.2027 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.02.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 8689/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मिथिलेश सिंह पत्नी श्री नवल सिंह, निवासी ग्राम प्रकाश बम्हौरी तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 285, रकबा 6.659 हेक्टेयर, ग्राम गुमानपुरा, तहसील चॉदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी के** HFL **से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन सिचाई, राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 80 पेड़ो में से काटे जाने वाले 32 पेड़ो के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 320 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में खनन् क्षेत्र का वह भाग जहाँ काफी संख्या में पेड़ मौजूद है, नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, पुत्रंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	300
3	बिसनखेड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर इत्यादि।	30
4	गाँव गुमानपुर, बिसनखेड़ा, चौबिंटाला गांव के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	3940
5	माइन एरिया के अंदर नॉन माइनिंग एरिया ;1º090 ¨द्व	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1200
6	सूरजपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर, पुत्ररंजीवा इत्यादि।	30
		कुल योग	8500

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम गुमानपुर मे समस्त ग्रामीणों और बच्चों के लियें साल में दो बार स्वास्थ्य शिविर (रक्तचाप, मधुमेह एवं मुख स्वच्छता हेतु) का आयोजन किया जाये।
- ग्राम गुमानपुर में पशु चिकित्सालय के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण शिविर की व्यवस्था कराई जायेगी।
- ग्राम बिरेपुरवा बजरंगबली मंदिर की बाउंड्री वाल के निर्माण हेतु पत्थर का सहयोग किया जाएगा तथा 01 हैंडपंप स्थापित कर उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना किया जाये ।
- ग्राम बिसनखेड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सोलर पैनल स्थापित किया जाये तथा कंम्पूटर और प्रिंटर प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्रीमती मिथिलेश सिंह पत्नी श्री नवल सिंह, निवासी ग्राम प्रकाश बम्हौरी तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 285, रकबा 6.659 हेक्टेयर, ग्राम गुमानपुरा, तहसील चॉदला, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला छतरपुर के पत्र क्र. 3664 दिनांक 11.12.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 9260/2023 परियोजना प्रस्तावक जनरल मैनेजर मध्यप्रदेश स्टेट माईनिगं, कार्पोरेशन लि. ब्लाक न. 01 (ए) द्वतीय तल, पार्यवास भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,23,287 टन प्रतिवर्ष**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(बाक्साईट 99,643 टन प्रतिवर्ष एवं लेट्राईट 21,114 टन प्रतिवर्ष ओ.बी. 2500 टन प्रतिवर्ष) खसरा नं. 03, 07, रकबा 21.00 हेक्टेयर, ग्राम तामर एवं किरकिरान तहसील मझगवॉं, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से 100 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन सिचाई, राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Plants**
1st and 2nd Year	In barrier zone (3027m)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Neem , Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	5000
3rd year	Nin minable area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Neem , Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	4000
		Total	**9,000**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1st year	Along the transport route (300m) 2.5m distance with 1m height	Khamar, Neem, Chirol Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	160
1st and 2nd year	Fund (as per guideline of the department) shall be provided to office of DFO for carrying out plantation 11000 trees over 10 hact area as identified by them in the nearby vicinity .		
1st year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target			
SN	**Issues**	**Activities**	**Capital investment in lakh**
1.	Providing infrastructure support to the village school	Fan (5 No =10,000) , Solar light, boys and girls toilet (02 toilets for boys and 02 toilets for girls = 2,00,000), boundary wall (2,50,000) at school of village Khuinyan	4.60
2	Free health camp at village Tamar and Kirkiran	Free health camp at village Tamar and Kirkiran twice in year	1.0
3	Infrastructure support for Tribal places	Fund shall be provided to develop and provide infrastructure facility at Tribal Community/ religious places	2.0
4	Fund shall be provided to office of DFO for development of grazing land at village as per OM of MoEF&CC dated 14.01.2016		1.00
	Total		**8.60**

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक जनरल मैनेजर मध्यप्रदेश स्टेट माईनिगं, कार्पोरेशन लि. ब्लाक न. 01 (ए) द्वतीय तल, पार्यवास भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं लेट्राईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,23,287 टन प्रतिवर्ष (बाक्साईट 99,643 टन प्रतिवर्ष एवं लेट्राईट 21,114 टन प्रतिवर्ष ओ.बी. 2500 टन प्रतिवर्ष) खसरा नं. 03, 07, रकबा 21.00 हेक्टेयर, ग्राम तामर एवं किरकिरान तहसील मझगवॉ, जिला सतना (म.प्र.)। मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ–3–16/2020/12/1 दिनांक 06.06.2022 के माध्यम

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

से उक्त खदान को (ई.सी./सी.टी.ओ./अन्य) प्राप्त कर प्रस्तुत करने के उपरांत 50 वर्ष की अवधि के लिये खनि अनुदत्त किये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम नं. IA3-22/28/2022-1A.111(E 181584) दिनांक 13.12.2022 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक मान्य रहेगी।

7. **प्रकरण क्र. 7570/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश बंसल आत्मज श्री कचरूमल बंसल, निवासी 13, रामकृष्णगंज, अनाज मंडी के पीछे, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1189, 1190, 1214, रकबा 7.490 हेक्टेयर, ग्राम देशगांव, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड KML फाईल के अक्षांश देशांश एवं प्रस्तुत माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश तथा DSR के अक्षांश देशांश का मिलान नहीं हो रहा है जिस कारण गूगल ईमेज पर पर्यावरण संवदेशीलता का आकलन नहीं हो पा रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त के संबंध में 15 दिवस में स्पष्टीकरण एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार सही अक्षांश देशांश की KML फाईल परिवेश पोर्टल एवं ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

8. **प्रकरण क्र. 8794/2021 परियोजना प्रस्तावक जनरल मैनेजर मध्यप्रदेश स्टेट माईनिगं, कार्पोरेशन लि. ब्लाक न. 01 (ए) द्वितीय तल, पर्यावास भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रॉक फास्फेट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष से 5,16,026 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 21, 23, रकबा 37.70 हेक्टेयर, ग्राम कचलदरा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 3850 वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1^{st} to 2^{nd} year	In barrier zone (5813m) and non mining area	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Chirol Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	18000
1^{st} to 2^{nd} year	Non Mining area within the lease area	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Chirol Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	16200
After Back filling	Backfilled area	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Chirol Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	4000
		Total	38200
1^{st} year to 2^{nd} year	Along the transport route (1100m) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	1800
1^{st} year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000
		Grand Total	42000

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	**Issues**	**Cost in Rs Lakh**
Provision of water harvesting structure	Provision of harvesting structure at villages and construction of check dam at nalla for water	2.00

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	harvesting	
Providing infrastructure support to the school of Kachaldara Village	2 Toilet at Govt. primary School, Kachaldara with facility of water through bore well at School. 5KW solar unit with power back-up	1.50 3.00
Distribution of books	Distribution of books for students of schools and Khatamba, Kalua, Khachaldhara etc	1.00
Provision of Health facility	One Clinic with doctor, attended with Ambulance and other facility for free check-up of villagers and workers under supervision of PHC.	10.00
Construction of road	About 2.15kmL x 7.5mW WBM road will be constructed.	19.35
Total		**36.85**

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक जनरल मैनेजर मध्यप्रदेश स्टेट माईनिगं, कार्पोरेशन लि. ब्लाक न. 01 (ए) द्वितीय तल, पर्यावास भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रॉक फास्फेट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष से 5,16,026 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 21, 23, रकबा 37.70 हेक्टेयर, ग्राम कचलदरा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला झाबुआ द्वारा पूरक अनुबंध पत्र दिनांक 18.11.2021 अनुसार खनिपटटा की अवधि 09.03.2009 से 08.03.2059 तक (50 वर्ष) स्वीकृत की गई है, अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम नं. IA3-22/28/2022-1A.111(E 181584) दिनांक 13.12.2022 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक मान्य रहेगी।

9. **प्रकरण क्र. 7305/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स फार्च्यून स्टोन लि. निवासी 11, बंगला नं. 02, लोकनाथपुरम, सागर रोड़, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 711 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 901 भाग, रकबा 1.40 हेक्टेयर, ग्राम कटहरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है तथा उत्तर एवं पूर्व दिशा में खदान से लगी हुई आबादी है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में जल रोकने वाली संरचना से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 7828/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बागचंद संचेती, पार्टनर श्री गौरव संचेती, निवासी नेहरू चौक, बारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 239, 240, 278/2, रकबा 5.80 हेक्टेयर, ग्राम अम्बेझरी, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वी बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"..........प्रकरण सेक की 627वीं बैठक दिनांक 03/02/2023 एवं 618वीं बैठक दिनांक 11/01/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्र. 5651/2018 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि., निवासी 158, तृतीय तल, जोन–2, एम.पी. नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 3874 टन प्रतिवर्ष एवं ओवर बर्डन (एम.सेण्ड निर्माण हेतु) उत्पादन क्षमता 121950 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 231 भाग, 250, रकबा 6.0 हेक्टेयर, ग्राम प्रतापपुरा, लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वी बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में ग्रेनाईट 3874 टन प्रतिवर्ष एवं ओवर बर्डन (एम.सेण्ड निर्माण हेतु) उत्पादन क्षमता 121950 घनमीटर प्रतिवर्ष करते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ संशोधित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **SEIAA द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04.05.2018 में निहित शेष समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**4500**
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	**250**
3	प्रतापपुरा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अ ोक।	**50**
4	प्रतापपुरा ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**2400**
		योग	**7200**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्षो में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

- ग्राम प्रतापपुरा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 ईसीजी मशीन, 01 रेडियन्ट वार्मर, 05 व्हील चेयर, 03 स्ट्रेचर एवं 01 फ्रिज उपलब्ध कराया जाये।
- ग्राम प्रतापपुरा में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैण्ड पम्प स्थापित कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

12. **प्रकरण क्र. 9024/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सीताराम स्टोन, पार्टनर, श्री धर्मेन्द्र दांतरे आत्मज श्री जय प्रकाश दांतरे, निवासी बी–11, पुरूषोत्तम विहार, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2,28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.640 हेक्टेयर, खसरा 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130, ग्राम डिरमन, तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वी बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.10.2022 की शर्त क्र. 03 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहर से 200 मीटर तक अनुमोदित खनन योजना अनुरूप एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के परिपालन में खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग का उपयोग न करते हुए रॉक ब्रेकर से किया जायेगा।**

SEIAA द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.10.2022 में निहित शेष समस्त शर्ते यथावत रहेगी।

13. **प्रकरण क्र. 9610/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चित्रकुट क्रसिंग कार्पोरेशन, पार्टनर श्री अर्पित जैन आत्मज श्री अनिल कुमार जैन, निवासी 13, नगर निगर काम्प्लेक्स, हास्पिटल रोड़, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 95418 व एम सेण्ड 143127 घन मीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 24/1/1, 24/1/3, 24/1/4, 23/2/1, 23/2/23, 22, 27/6, रकबा 4.946 हेक्टेयर, ग्राम खैरवा, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर परिलक्षित है। अतः जिला खनिज अधिकारी से प्रस्तावित खनन क्षेत्र के वास्तविक अक्षांश देशांश तथा खदान से उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी दूरी पर स्थित है की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 9614/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मोनिका शर्मा पत्नि श्री आनंद शर्मा, निवासी 302, भास्कर अर्पाटमेंट, जयेन्द्रगंज, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1318/4, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम भडौरा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **शिवपुरी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, आवला, अचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	300
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, सिस्सू, कदम आदि।	300
3	ग्राम भदोरा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, सिस्सो, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	50
	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा आदि।	550
		योग	1200

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्वार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम भदोरा के नजदीक स्थित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 बीपी मशीन, 02 शुगर टेस्टिंग मशीन एवं 02 व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाये तथा चिकित्सक अधिकारी के परामर्श से आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मोनिका शर्मा पत्नि श्री आनंद शर्मा, निवासी 302, भास्कर अर्पाटमेंट, जयेन्द्रगंज, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1318/4, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम भडौरा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी के आदेश क्र. 1565

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

15. प्रकरण क्र. 9615/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ इन्फ्राटेक, पार्टनर, श्री अजय पाठक, निवासी विजय नगर, सेक्टर नं. 03, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 व एम सेण्ड 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 927, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम उपचा, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

चूंकि यह खदान पहाड़ी पर स्थित है और अभी इस पहाडी पर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। खदान के उत्तर पूर्व दिशा में आबादी, पूर्व व दक्षिण पूर्व पर कुछ शेड स्थित है तथा उत्तर दिशा में कच्चा रोड़ है। गूगल ईमेज से साफ दिखता है कि खदान से लगी हुई पहाडी के नीचे आबादी है तथा यह एक वर्जन पहाडी की श्रंखला है, जिसमें खनन कार्य होने से आबादी को प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का भी सामना करना होगा। इसके आलावा पहाडी के खनन कार्य से Subsidence की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है जिसका पूरी पहाडी की श्रंखला में पर्यावरणीय प्रभाव पडने से बहुआयामी यूनिक माउंनटेन ईको सिस्टम प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा खनन कार्य से आस–पास के भूदृश्य पर भी विपरीत प्रभाव पडने की संभावना रहेगी।

प्रकरण की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों में एक बार खनन कार्य शुरू होने से पूरी पहाडी की श्रंखला पर आने वाले समय में खनन कार्य बढ़ने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता जिसका आबादी पर पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा। उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें

16. प्रकरण क्र. 9669/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती टीना कुंवर पत्नि श्री कुलदीप सिंह सिसौदिया, निवासी पिपलीपाडा संदला, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 241/1/1, रकबा 1.98 हेक्टेयर, ग्राम संदला, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा**
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– सिस्सु, बबूल, जंगल–जलेबी, सफेद कस्टार, नीम, सीताफल, चिरोल , आदि।	360
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	150
3	ग्राम सांदला के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, आवला, करंज, आदि।	60
4.	ग्राम सांदला के आदिवासी बालिका छात्रावास में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	120
5	ग्राम सांदला के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, आवला, करंज, आदि।	60

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6	ग्राम सांदला के आदिवासी बालिका छात्रावास में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	120
7	ग्राम सांदला के उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	150
8	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला* आदि।	1540
		योग	2380

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम संदला के उच्चतर माध्यमिक शाला में 01 कम्प्यूटर सेट एवं 01 प्रिन्टर मय टेबल के उपलब्ध कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती टीना कुंवर पत्नि श्री कुलदीप सिंह सिसौदिया, निवासी पिपलीपाडा संदला, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 241/1/1, रकबा 1.98 हेक्टेयर, ग्राम संदला, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 13197–98 दिनांक 27.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्र. 9671/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री पीताम्बरा कन्स्ट्रक्शन एंड माईनिंग प्रा.लि., पार्टनर, श्रीमती ज्योती अग्रवाल, निवासी मकान नं. 94/1, विवेकानंद कॉलोनी, बंगाली मंदिर के पास,

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर, मुरूम एवं एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम 1124 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम सेण्ड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1044/1, रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम जमुनिया, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **सागर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**2450**
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	**100**
3	जमुनिया स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	**50**
4	जमुनिया ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**1000**
		योग	3600

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम जामुनिया के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 ईसीजी मशीन, 01 रेडियन्ट वार्मर, 05 व्हील चेयर, 03 स्ट्रेचर एवं 01 फ्रिज उपलब्ध कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री पीताम्बरा कन्स्ट्रक्शन एंड माईनिंग प्रा.लि., पार्टनर, श्रीमती ज्योती अग्रवाल, निवासी मकान नं. 94/1, विवेकानंद कॉलोनी, बंगाली मंदिर के पास, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर, मुरूम एवं एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम 1124 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम सेण्ड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1044/1, रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम जमुनिया, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के आदेश क्र. 1218 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.08.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र. 9672/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री पीताम्बरा कन्स्ट्रक्शन एंड माईनिंग प्रा.लि., पार्टनर, श्रीमती ज्योती अग्रवाल, निवासी मकान नं. 94/1, विवेकानंद कॉलोनी, बंगाली मंदिर के पास, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 466 पी, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम सौरई, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **सागर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	750
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	100
3	सौरई स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	50
4	सौरई ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	300
		योग	1200

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सौरईद्ध के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सौरई)PHC) में 01 ईसीजी मशीन, 01 रेडियन्ट वार्मर एवं 01 फ्रिज उपलब्ध कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री पीताम्बरा कन्स्ट्रक्शन एंड माईनिंग प्रा.लि., पार्टनर, श्रीमती ज्योती अग्रवाल, निवासी मकान नं. 94/1, विवेकानंद कॉलोनी, बंगाली मंदिर के पास, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एवं एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 466 पी, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम सौरई, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के आदेश क्र. 1219 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.08.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

19. प्रकरण क्र. 9675/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री शिवकुमार बंसल, निवासी फ्लेट नं. 251, सूर्योदय अपार्टमेंट, द्वारका सेक्टर–12, पॉकेट–08, द्वारका, न्यू दिल्ली–110078, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 132017 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 775, 777/2, 779/2, रकबा 2.943 हेक्टेयर, ग्राम भमरहा–2, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **शहडोल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क, तालाब के HFL से एवं बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, अचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	1160
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, सीताफल, करंज, सफेद कॉस्टर आदि।	230
3	ग्राम भमरहा–२ के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	100
4	ग्राम भमरहा–२ के शासकीय माध्यमिक शाला के मैदान में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार , सिस्सू , नीम , बरगद , पीपल , चिरोल आदि।	200
5	ग्राम भमरहा–२ एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, अमला, कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद आदि।	1870
		योग	3560

(मुजीबुर्रहमान खान) — **सदस्य सचिव**
(अनिल कुमार शर्मा) — **सदस्य**
(अरूण कुमार भट्ट) — **अध्यक्ष**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बमराहा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 स्ट्रेचर एवं 02 व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई जायें।
- ग्राम बमराहा में हैंडपंप की स्थापना की जाये एवं उसके आस पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण किया जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री शिवकुमार बंसल, निवासी फ्लेट नं. 251, सूर्योदय अपार्टमेंट, द्वारका सेक्टर–12, पॉकेट–08, द्वारका, न्यू दिल्ली–110078, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 132017 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 775, 777/2, 779/2, रकबा 2.943 हेक्टेयर, ग्राम भमरहा–2, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल के आदेश क्र. 06 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 02 वर्ष (दिनांक 20.10.2024 तक) की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

20. प्रकरण क्र. 9676/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मोहम्मद जफर शेख आत्मज श्री मोहम्मद रफीक, निवासी ग्राम सादवा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/2, 3/3, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम गडरोली, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **शाजापुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 03 पेड़ो में से काटे जाने वाले 01 पेड़ो के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा**
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, खमेर, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	260
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	150
3	उत्खनिपट्टा में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में 400 वर्ग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, खमेर, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	80

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**

(अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य**

(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

4	ग्राम गडरोली के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, आवला, करंज, आदि।	50
5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल मुनगा आदि।	670
		योग	1210

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम गडरोली के शासकीय प्राथमिक शाला में 5000 लीटर की टंकी स्थापित कर टैंकर के माध्यम से पानी की उचित व्यवस्था कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मोहम्मद जफर शेख आत्मज श्री मोहम्मद रफीक, निवासी ग्राम सादवा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/2, 3/3, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम गडरोली, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शाजापुर के पत्र क्र. 608 दिनांक 30.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

21. प्रकरण क्र. 9544/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री रविन्द्र सोलंकी आत्मज स्व. श्री प्रहलाद सिंह सोलंकी, निवासी सागर रोड़, ग्राम गुदनवारा, (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

विधि), उत्पादन क्षमता 2800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/2, 3/3, रकबा 2.800 हेक्टेयर, ग्राम गडरोली, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वी बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"..........प्रकरण सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 एवं 627वीं बैठक दिनांक 03/02/2023 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. 9441/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा आत्मज श्री राजमणी शर्मा, निवासी – ग्राम भलुआ, तहसील कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4241 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम रामनई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन आबादी वाले क्षेत्र से नहीं किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन मे	चिरोल, नीम, खमेर, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय	300

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		प्रजातीय ।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री गार्ड के साथ-	400
3	तमरी स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	50
4.	तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	450
		कुल	1200

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रमनई के शासकीय प्राथमिक स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा आत्मज श्री राजमणी शर्मा, निवासी – ग्राम भलुआ, तहसील कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4241 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम रामनई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा के पत्र क्र. 5417 दिनांक 08.10.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.10.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23. **प्रकरण क्र 9311/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह, निवासी–सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जिला जयपुर (राजस्थान) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28,530 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.850 हेक्टेयर, खसरा 247, 290, ग्राम धौर–3, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 28530 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 28530 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 28530 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 39000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 28530 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 11.98 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपणहेतुनियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
Up to June 2023	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	**2000** **1000** **150**
Up to June 2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	**11700**
Up to June 2023	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	**1000**
	योग		15850

VII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम धौर के शासकीय प्राथमिक स्कूल 01 किचन प्लेटफार्म के साथ एवं 02 शौचालय का निर्माण पानी की समुचित व्यवस्था के साथ किया जाये।
- ग्राम धौर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पीने के पानी हेतु बोरबैल कराया जाये एवं 05 किलोवाट का सोलर पैनल पावर बैकअप के साथ स्थापित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

- ग्राम धौर के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह, निवासी–सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जिला जयपुर (राजस्थान) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28,530 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.850 हेक्टेयर, खसरा 247, 290, ग्राम धौर–3, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5913 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

24. **प्रकरण क्र 9317/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह, निवासी–सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जिला जयपुर (राजस्थान) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,14,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 19.00 हेक्टेयर, खसरा 546, 850, ग्राम खैरोली, तहसील मेहगॉव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 114000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 114000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 114000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 126500 घनमीटर

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 114000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 13.55 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	2000 1000 300

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	15600
3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	100
	योग		19000

VII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम खैरोली के शासकीय प्राथमिक स्कूल 01 किचन प्लेटफार्म के साथ एवं 02 शौचालय का निर्माण पानी की समुचित व्यवस्था के साथ किया जाये।
- ग्राम खैरोली के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पीने के पानी हेतु बोरबैल कराया जाये एवं 05 किलोवाट का सोलर पैनल पावर बैकअप के साथ स्थापित किया जाये।
- ग्राम खैरोली के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह, निवासी–सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जिला जयपुर (राजस्थान) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,14,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 19.00 हेक्टेयर, खसरा 546, 850, ग्राम खैरोली, तहसील मेहगॉव, जिला भिण्ड (म.प्र.) । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5913 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र. 9307/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21024 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.680 हेक्टेयर, खसरा 245, 246, 251, ग्राम धौर–2, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 35040 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 21024 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 21024 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 33024 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता **21024** घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज रकबा 11.680 हेक्टेयर में से मात्र 6.22 हेक्टेयर में ही रेत उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 9.89 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	2000 1000 180
2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	8000
3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	500
	योग		11680

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम धौर के शासकीय प्राथमिक विघालय में 01 किचन रूम फ्लेटफार्म के साथ (8X10 फिट) एवं 02 शौचालय का निर्माण कराया जाये।
- ग्राम धौर के शासकीय प्राथमिक विघालय पीने के पानी हेतु बोरबेल कराया जाये तथा सौलर पैनल (5KW) पावर बेकअप के साथ लगाया जाये।
- ग्राम धौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21024 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.680 हेक्टेयर, खसरा 245, 246, 251, ग्राम धौर–2, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5911 दिनांक 29.07. 2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

26. प्रकरण क्र. 9316/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.0 हेक्टेयर, खसरा 1420, ग्राम गौरम 1420, तहसील मैहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 71000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज रकबा 10.0 हेक्टेयर में से मात्र 6.0 हेक्टेयर में ही रेत उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 9.05 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	2000 1000 100
2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	6400
3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	500
		योग	10,000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम गौरम के शासकीय प्राथमिक विघालय में 01 किचन रूम फ्लेटफार्म के साथ (8X10 फिट) एवं 02 शौचालय का निर्माण कराया जाये।
- ग्राम गौरम के शासकीय प्राथमिक विघालय पीने के पानी हेतु बोरबेल कराया जाये तथा सौलर पैनल (5KW) पावर बेकअप के साथ लगया जाये।
- ग्राम गौरम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.0 हेक्टेयर, खसरा 1420, ग्राम गौरम 1420, तहसील मैहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5897 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

27. प्रकरण क्र. 9306/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 14.710 हेक्टेयर, खसरा 66, 75, ग्राम मटियावली–1, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 73350 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 55010 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.0 हेक्टेयर, खसरा 1420, ग्राम गौरम 1420, तहसील मैहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5897 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

27. प्रकरण क्र. 9306/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 14.710 हेक्टेयर, खसरा 66, 75, ग्राम मटियावली–1, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 73350 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 55010 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज रकबा 14.710 हेक्टेयर में से मात्र 7.116 हेक्टेयर में ही रेत उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 11.40 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species	2000
		From 4th to 5th row : Katang bans.	1000
		In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	100
2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	11000

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	600
	योग		14,700

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्रामीण संड़क की मरम्मत का कार्य किया जाये। (01 कि.मी.)
- ग्राम मटियावली के शासकीय स्कूल में साफ सफाई, वृक्षारोपण एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम के मंदिर में वृक्षारोपण एवं पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44010 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 14.710 हेक्टेयर, खसरा 66, 75, ग्राम मटियावली–1, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5907 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

28. प्रकरण क्र. 9310/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.0 हेक्टेयर, खसरा 1576, ग्राम अजनार–2, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 65200 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज रकबा 9.0 हेक्टेयर में से मात्र 4.56 हेक्टेयर में ही रेत उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 8.55 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	2000 1000 100
2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	5000
3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	900
	योग		9000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्रामीण संड़क की मरम्मत का कार्य किया जाये। (01 कि.मी.)
- ग्राम अजनार–2 के शासकीय स्कूल में साफ सफाई, वृक्षारोपण एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के मंदिर में वृक्षारोपण एवं पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.0 हेक्टेयर, खसरा 1576, ग्राम अजनार–2, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5919 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

29. प्रकरण क्र. 9313/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 32814 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 18.230 हेक्टेयर, खसरा 1, 2, 12, 45, 67, ग्राम धौर–1, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **रोड़ ब्रिज से 1000 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन सिचाई, राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 54690 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 32814 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 32814 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 42814 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता **32814** घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज रकबा 18.230 हेक्टेयर में से मात्र 9.84 हेक्टेयर में ही रेत उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 13.87 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VIII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	2000 1000 230
2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	17000
3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	1000
	योग		18230

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम धौर के शासकीय स्कूल में साफ सफाई, रंग रोगन, वृक्षारोपण एवं मंदिर के पास भी वृक्षारोपण किया जाये।
- ग्राम धौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

X. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 32814 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 18.230 हेक्टेयर, खसरा 1, 2, 12, 45, 67, ग्राम धौर–1, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 6041 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

30. प्रकरण क्र. 9315/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 102000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.170 हेक्टेयर, खसरा 1713, 2278, 2435, ग्राम भरौलीकंला, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1,70,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1,02,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1,02,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1,22,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1,02,000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज रकबा 11.170 हेक्टेयर में से मात्र 6.552 हेक्टेयर में ही रेत उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 9.64 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियों	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	2000 1000 170
2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	9700
3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	1300
	योग		11170

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम भरौलीकंला के शासकीय प्राथमिक विघालय में 01 किचन रूम फ्लेटफार्म के साथ एवं 02 शौचालय, का निर्माण किया जायें
- ग्राम भरौलीकंला के शासकीय प्राथमिक विघालय में पीने के पानी हेतु बोरबेल एवं सौलर पैनल (5KW) पावर बेकअप के साथ स्थापित किया जाये।
- ग्राम भरौलीकंला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण **स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व** उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक **राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों** का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 102000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.170 हेक्टेयर, खसरा 1713, 2278, 2435, ग्राम भरौलीकंला, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5895 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

31. प्रकरण क्र. 9309/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36,924 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 24.90 हेक्टेयर, खसरा 01 ग्राम बडेत्तर, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 61450 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 36924 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 36924 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 46924 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 36924 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज रकबा 24.90 हेक्टेयर में से मात्र 11.61 हेक्टेयर में ही रेत उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित राशि रू. 16.55 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In 1 to 6th row along the river bank	From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing (Between land and bank) and Other Local species From 4th to 5th row : Katang bans. In 6th Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc.	2000 1000 400
2	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	20,100
3	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	1500
	योग		25000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्रामीण संड़क की मरम्मत का कार्य किया जाये। (01 कि.मी.)
- बडेत्तर स्कूल में साफ सफाई, वृक्षारोपण एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम के मंदिर में वृक्षारोपण एवं पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- गौशाला मे टीन शेड का निर्माण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36,924 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 24.90 हेक्टेयर, खसरा 01 ग्राम बडेत्तर, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5909 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

32. प्रकरण क्र. 9746/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25080 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.0 हेक्टेयर, खसरा 801, ग्राम सढ़ा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

III. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये।

VI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना है जिसका अनुपालन कैसे किया जायेगा की बिन्दुवार विस्तृत अद्यतन जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में सम्मलित करें।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा का विवरण ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 9747/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 43200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 434, ग्राम बरेठी खुर्द–2, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

III. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये।

VI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना है जिसका अनुपालन कैसे किया जायेगा की बिन्दुवार विस्तृत अद्यतन जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में सम्मलित करें।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा का विवरण ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 9748/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 52500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 13.00 हेक्टेयर, खसरा 284, 515, ग्राम बरेठीखुर्द–1, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

III. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये।

VI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना है जिसका अनुपालन कैसे किया जायेगा की बिन्दुवार विस्तृत अद्यतन जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में सम्मलित करें।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा का विवरण ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

35. प्रकरण क्र. 9749/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान (मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 41400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.570 हेक्टेयर, खसरा 3349, 3350, 3355, 3402, 3403, 3405, ग्राम भरौलीखुर्द, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 628वी बैठक दिनांक 13.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

III. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये।

VI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना है जिसका अनुपालन कैसे किया जायेगा की बिन्दुवार विस्तृत अद्यतन जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में सम्मलित करें।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा का विवरण ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –

36. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, कटनी (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 630वीं बैठक दिनांक 16.03.2023 में कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..................समिति ने पाया कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा कटनी के कमांक 411 दिनांक 13/03/23 के माध्यम खदान की वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी है किंतु किये गये वृक्षारोपण की संख्या बहुत कम है अतः संबंधित खनिज अधिकारी आगामी वर्षा त्रृतु 2023 में कटनी जिले में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कार्यरत खदानों में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे । अतः समिति की अनुशंसा है कि कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 630वीं बैठक दिनांक 16.03.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, कटनी_को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

37. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 में मुरैना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..................समिति की यह अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति की यह भी अनुशंसा है कि मुरैना – रेत खनिज जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए मुरैना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, मुरैना_को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

38. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 में श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..................समिति की यह अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति की यह भी अनुशंसा है कि श्योपुर रेत खनिज जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, श्योपुर_को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

39. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पन्ना – अन्य गौण खनिज –संशोधित

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 में पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज –संशोधित) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..................समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– पन्ना के पत्र क0 364 दिनांक 2109/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है । अतः समिति मुरैना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 632वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज –संशोधित) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, पन्ना_को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्‌टी विकसित करने के उद्‌देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	(अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य**	(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा** एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
15. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

21. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
22. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्‌टी विकसित करने के उद्‌देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्‌ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–4

1. Water requirement shall be met through MPAKVN water supply only. Prior permission from concerned authority shall be obtained for withdrawal of water.
2. The Project Proponent shall make necessary arrangements for control of Air Pollution occurring due to the installation and operation of the Air Polluting machinery installed in the industrial premises.
3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
4. The project proponent shall construct rain water tanks to store rain water runoff generated from the roof tops etc during monsoon season within its premises.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. The project proponent shall minimize the water consumption in the industrial plant complex by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
6. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
7. PP should ensure to achieve minimum 95% solvent recovery. Close loop solvent recovery system with adequate condenser system shall be provided to recover solvent vapours in such a manner that recovery shall be maximum and recovered solvent shall be reused in the process within premises.
8. The project proponent shall undertake pre-monsoon and post monsoon monitoring of the Ground water for heavy metals in addition to routine parameters. At least 3 samples i.e. one from within the premises and two from outside the premises of the industry shall be taken.
9. All the vehicle movement areas as well as approach road to the gate /weighing bridge shall be paved with pucca/metalled / cement concrete to control the dust emissions expected from vehicle movements.
10. The vehicles to be used for loading/unloading purposes shall not be parked along the roadside to avoid traffic congestion and a dedicated parking place to be provided for the same within the Project premises.
11. The project proponent shall adopt green technologies to conserve water and energy. Also, provide abrasive resistant fire bricks in the crucibles to reduce the periodic maintenance and disposal of discarded fire bricks if applicable.
12. The project proponent shall use natural gas as substitute fuel wherever possible in the existing industry/ for the expansion project as soon as this becomes commercially available. PP should ensure to implement non conventional energy source wherever is possible.
13. Odour Management:
    (a) Nozzles, sprayers and atomizers that spray ultra-fine particles of water or chemicals should be used along the boundary lines of area sources to suppress odours
    (b) Odorous air streams frequently contain high concentration of moisture. PP should ensure to use Mist filters for this purpose so that mist filter can remove solids and liquids from gas stream.
    (c) Regular transportation of Sludge and other odor producing material to CHWTSDF
    (d) Proper storage of chemical, solvent to avoid direct contact of sunlight

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(e) Personal Protective Equipment should be provided to the workers while handling of chemical and raw material

14. PP should ensure to make arrangement for disaster management.
15. No construction and expansion activities will be allowed in MOS area.
16. Leak Detection and Repair (LDAR) program shall be prepared and implemented as per the CPCB guidelines. LDAR Logbooks shall be maintained.
17. The specific need base activities to be undertaken under CER to be carried out in consultation with District collector.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष